कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री विमलेश कुमार शर्मा प्लांट नं0 173–74 मंगल विहार पोल्ट्री फार्म के पीछे आगरा रोड जयपुर 302031

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा

अपील सं0 26/2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक : 08.07.2019

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा से सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वॉछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई से संबंधित है। किंतु आवेदक को वांछित सूचना प्राप्त नहीं होने पर उनके द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को इस कार्यालय के पत्रांकः डीएम/कोर्ट/2019/1025 दिनांक 18.06.2019 व डीएम/कोर्ट/2019/1250 दिनांक 01.07.2019 द्वारा पत्र जारी कर प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट चाही गई। किंतु उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना/नकल उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र की सूचना संबंधित व्यक्ति को 30 दिवस की समयावधि में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को वॉछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावें। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा